E-Mail.

प्रेषक,

आयुक्त
ग्राम्य विकास
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त मुख्य विकास अधिकारी
उत्तर प्रदेश।

पत्रॉकः–जीओ–31/डीआरडीए (प्रशा0)/लेखा/ 2010–11 दिनांकः 15 अप्रैल 2011

विषयः जिला ग्राम्य विकास अभिकरण प्रशासन योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2011–12 की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–डी–193/अड़तीस–2–11–2(118)डी/2010, दिनांक 13 अप्रैल 2011 (छाया प्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा डी0आर0डी0ए0 (प्रशा0) योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिए अनुदान सं0 13 में प्राविधानित धनराशि रू0 2103.22 लाख के सापेक्ष प्रथम त्रैमास हेतु 25 प्रतिशत की धनराशि प्रथम किश्त के रुप में रू0 525.805 लाख (रुपये पांच करोड़ पच्चीस लाख अस्सी हजार पांच सौ मात्र) वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु आयुक्त ग्राम्य विकास के निस्तारण पर रखी गयी है । शासन द्वारा उक्त स्वीकृत धनराशि 525.805 लाख (रुपये पांच करोड़ पच्चीस लाख अस्सी हजार पांच सौ मात्र) संलग्नक के कालम–3 के अनुसार निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आवंटित की जा रही है।

1– धनराशि के आहरण तथा उसके व्यय के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या डी–193/ अड़तीस–2– 11–2 (118)डी/2010, दिनांक 13 अप्रैल 2011 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा ।

2– योजनान्तर्गत धनराशि का आहरण केन्द्रांश प्राप्ति के सापेक्ष आवश्यक राज्यांश की सीमा तक किया जायेगा धनराशि के आहरण मे वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा एवं धनराशि का व्यय जिला ग्राम्य विकास अभिकरण (प्रशा0) योजनान्तर्गत भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा समय –समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप ही किया जायेगा।

3–धनराशि के आहरण व वितरण के लिए सम्बन्धित जनपदों के मुख्य/वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी यथास्थिति पूर्णतयः जिम्मेदार होंगे यदि कभी वित्तीय नियमों का उल्लंघन होता है तो इसकी सूचना तत्काल इस कार्यालय को दी जायेगी।

4– नवसृजित जनपद छत्रपति शाहूजी महाराज नगर को जनपद सुल्तानपुर एवं रायबरेली से सम्मिलित विकास खण्डों की संख्या के आधार अनुपातिक धनराशि तत्काल हस्तान्तरित की जाए एवं इसकी सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध करायी जाए ।

5–आवंटन में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन विभाग में तैनात मुख्य/वरिष्ठ/ वित्त एवं लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन होता है, तो सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ /वित्त एवं लेखाधिकारी का दायित्व होगा कि पूर्ण विवरण सहित प्रकरण की सूचना कार्यालय को उपलब्ध करा दें।

6–इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–13 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2501–ग्राम्य विकास के लिये विशेष कार्यक्रम–01–समेकित ग्राम्य विकास कार्यक्रम–800–अन्य व्यय–01–केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधनित योजनाएं–0109–जिला ग्राम्य विकास अभिकरण (के–75/रा–25–रा) –31–सहायता अनुदान–सामान्य (वेतन)" के नामें डाला जायेगा।

7– आवंटित धनराशि के आहरण की सूचना बाउचर संख्या एवं दिनांक सहित विलम्बतम प्रत्येक माह की 05 तारीख तक इस कार्यालय के सम्प्रेक्षा अनुभाग में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

8– उक्त आवंटन की प्रविष्टि केन्द्रीय रजिस्टर आयोजनागत के पृष्ठ संख्या–184 पर कर ली गई है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
15/4/11
(संजीव कुमार)
आयुक्त
ग्राम्य विकास,उ0प्र0।

पत्रॉकः–जीओ–31/डीआरडीए (प्रशा0)/लेखा/ 2010–11 उक्त तिथि।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, उ0प्र0शासन।
4. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
5. समस्त कोषाधिकारी, उ0प्र0।
6. वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–2/(व्यय नियंत्रण)अनुभाग–2/राज्य योजना आयोग–1/2 तथा नियोजन अनुभाग–3
7. ग्राम्य विकास अनुभाग–3, उ0प्र0शासन।
8. संयुक्त सचिव, ग्राम्य विकास अनु0–2 , उ0प्र0 शासन को शासनादेश संख्या–डी–193/अड़तीस–2–11–2(118)डी/2010, दिनांक 13 अप्रैल 2011 के क्रम में।

(महेश कुमार अग्निहोत्री)
अपर आयुक्त (लेखा)
ग्राम्य विकास,उ0प्र0

Shiv_Jay 2010.doc

Annexure of Letter no.:G.O. 31/DRDA/Admin/Lekha/2011
Dated:15-4-2011

DRDA Administration (Rs. In lakh)

Sl. No.	Name of the District	State Share Being Released	Progressive Total
1	2	3	4
1	AGRA	7.922	7.922
2	ALIGARH	7.922	7.922
3	ALLAHABAD	8.164	8.164
4	AMBEDKAR NAGAR	6.946	6.946
5	AURRIYA	6.946	6.946
6	AZAMGARH	8.164	8.164
7	BADAUN	8.164	8.164
8	BAGPAT	6.946	6.946
9	BAHRAICH	7.922	7.922
10	BALIA	8.164	8.164
11	BALRAMPUR	6.946	6.946
12	BANDA	6.946	6.946
13	BARABANKI	7.922	7.922
14	BAREILLY	7.922	7.922
15	BASTI	7.922	7.922
16	BHADOHI S.R.NAGAR	6.946	6.946
17	BIJNOUR	7.922	7.922
18	BULANDSHAHAR	8.164	8.164
19	CHANDOULI	6.946	6.946
20	CHATRAPATI S.M.NAGAR CHITRAKOOT	5.607	5.607
21	DEORIA	8.164	8.164
22	ETAH	6.946	6.946
23	ETAWAH	6.946	6.946
24	FAIZABAD	7.922	7.922
25	FARRUKHABAD	6.946	6.946
26	FATEHPUR	7.922	7.922
27	FIROZABAD	6.946	6.946
28	GAUTAM BUDH NAGAR	5.607	5.607
29	GAZIPUR	8.164	8.164
30	GHAZIABAD	6.946	6.946
31	GONDA	8.164	8.164
32	GORAKHPUR	8.164	8.164
33	HAMIRPUR	6.946	6.946
34	HARDOI	8.164	8.164
35	J.R. PHULE NAGAR	6.946	6.946
36	JALAUN	6.946	6.946
37	JAUNPUR	8.164	8.164
38	JHANSI	6.946	6.946
39	KANNAUJ	6.946	6.946

Annexure of Letter no.:G.O. 31/DRDA/Admin/Lekha/2011
Dated:15-4-2011

DRDA Administration (Rs. In lakh)

Sl. No.	Name of the District	State Share Being Released	Progressive Total
1	2	3	4
40	KANPUR DEHAT	6.946	6.946
41	KANPUR NAGAR	6.946	6.946
42	KANSHI RAM NAGAR	6.946	6.946
43	KAUSHAMBI	6.946	6.946
44	KHERI (LAKHIMPUR)	7.922	7.922
45	LALITPUR	6.946	6.946
46	LUCKNOW	6.946	6.946
47	MAHAMAYA NAGAR HATHRAS	6.946	6.946
48	MAHARAJGANJ	7.922	7.922
49	MAHOBA	5.607	5.607
50	MAINPURI	6.945	6.945
51	MATHURA	6.945	6.945
52	MAUNTAH BHANJAN. MAU	6.945	6.945
53	MEERUT	7.921	7.921
54	MIRZAPUR	7.921	7.921
55	MORADABAD	7.921	7.921
56	MUZAFFARNAGAR	7.921	7.921
57	PADRAUNA KUSHI NAGAR	7.921	7.921
58	PILIBHIT	6.945	6.945
59	PRATAPGARH	8.160	8.160
60	RAI BARELI	8.160	8.160
61	RAMPUR	6.945	6.945
62	SAHARANPUR	7.921	7.921
63	SANT KABIR NGR	6.945	6.945
64	SHAHJAHANPUR	7.921	7.921
65	SHRAVASTI	5.606	5.606
66	SIDHARTH NAGAR	7.921	7.921
67	SITAPUR	8.160	8.160
68	SONBHADRA	6.945	6.945
69	SULTANPUR	8.160	8.160
70	UNNAO	8.160	8.160
71	VARANASI	6.945	6.945
	Total >>>	525.805	525.805

(Rs.Five Crore Twenty Five Lakh Eighty Thousand Five Hundered Only)

(Mahesh Kumar Agnihotri)
Additional Commisioner (Accounts)
Rural Development

जी0ओ0 31/(सेवा)/2010
15/4/11

संख्या-9-193 /अड़तीस-2-11-2(118)डी/2010

प्रेषक,

सीताराम यादव,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास
उ0प्र0 लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनु0-2 लखनऊः दिनांकः 13 अप्रैल, 2011

विषयः- जिला ग्राम्य विकास अभिकरण प्रशासन योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2011-12 की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-437/लेखा/डी0आर0डी0ए0/प्रशा0/2011-12दिनांक 01.04.2011 एवं पत्र संख्या-जी0ओ0-28/लेख/डी0आर0डी0ए0 प्रशा/2011 दिनांक 07-04-2011 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला ग्राम्य विकास अभिकरण प्रशासन मद योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए अनुदान सख्या-13 में रू0 21,03,22,000/- (रू0 इक्कीस करोड़ तीन लाख बाइस हजार मात्र) की बजट व्यवस्था हुई है।

2- जिला ग्राम्य विकास अभिकरण प्रशासन मद योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिये हुई बजट व्यवस्था के सापेक्ष प्रथम ~~त्रैमास~~ हेतु 25 प्रतिशत की धनराशि प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0 5,25,80,500/- (रू0 पांच करोड़ पच्चीस लाख अस्सी हजार पांच सौ मात्र) को श्री राज्यपाल महोदय आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-901/दस-2011-231/2011 दिनांक 21-03-2011 के प्रस्तर-2(11) के अनुसार वित्तीय स्वीकृतियों के सपेक्ष एक मुश्त आहरण न किया जाय, एवं उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 21-03-2011 में दिये गये अन्य निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4- उक्त धनराशि के व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5- योजनान्तर्गत धनराशि का आहरण केन्द्रांश प्राप्ति के सापेक्ष आवश्यक राज्यांश की सीमा तक किया जायेगा। धनराशि के आहरण में वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा एवं धनराशि का व्यय जिला ग्राम्य विकास अभिकरण प्रशासन मद योजनान्तर्गत भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा समय-समय जारी निर्देशों के अनुरूप ही किया जायेगा। धनराशि के आहरण वितरण के लिए सम्बन्धित जनपदों के वरिष्ठ लेखाधिकारी, वित्त नियंत्रक व लेखाधिकारी यथा स्थिति पूर्णतया जिम्मेदार होंगे। यदि कभी भी वित्तीय नियमों का उल्लंघन होता है, तो इसकी सूचना तत्काल आयुक्त ग्राम्य विकास को दी जायेगी।

6- अवमुक्त की जा रही धनराशि रू0 5,25,80,500/- (रू0 पांच करोड़ पच्चीस लाख अस्सी हजार पांच सौ मात्र) से जनपदों को प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष राज्यांश की

धनराशि अवमुक्त की जायेगी, जिससे जिलाधिकारी, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण प्रशासन मद योजनान्तर्गत केन्द्रांश की धनराशि के सापेक्ष राज्यांश अवमुक्त कर सकें। धनराशि का आहरण जनपदों द्वारा निर्धारित परिव्यय की सीमा के भीतर ही किया जायेगा। परिव्यय कम होने की स्थिति में अतिरिक्त परिव्यय हेतु शासन को सूचित किया जायेगा।

7— केन्द्रांश की धनराशि के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण—पत्र भारत सरकार को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा, जिससे भारत सरकार द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष में धनराशि की कटौती न की जा सकें। वर्ष के अन्त में अप्रयुक्त धनराशि दिनांक 31 मार्च, 2012 को समर्पित कर दी जायेगी।

8— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011—12 के आय—व्ययक के अनुदान संख्या—13 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक—"2501—ग्राम्य विकास के लिए विशेष कार्यक्रम—01—समेकित ग्राम्य विकास कार्यक्रम—800—अन्य व्यय—01— केन्द्रीय आयोजनागत /केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं—0109—जिला ग्राम्य विकास अभिकरण (के—75/रा—25—रा)—31—सहायता अनुदान—सामान्य (वेतन)" के नामें डाला जाएगा।

9— यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,
13.4.11
(सीताराम यादव)
संयुक्त सचिव।

संख्या-७।33 (1)/अड़तीस—2—2011, तद्दिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) अपर आयुक्त (लेखा), ग्राम्य विकास, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/संयुक्त विकास आयुक्त/मुख्य विकास अधिकारी /समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(5) वित्त (आय—व्ययक) अनु0—2/(व्यय नियंत्रण) अनु—2/राज्य योजना आयोग—1/2 तथा नियोजन अनु—3
(6) ग्राम्य विकास अनु0—3
(7) निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
(8) गार्ड बुक।

आज्ञा से,
(आर0पी0 सिंह)
अनु सचिव।